

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(1)नवि/3/84

जयपुर, दिनांक 04/05/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 17.07.2012 द्वारा अधिसूचित चूरु के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर परिषद चूरु की निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 24.01.2022 के निर्णयानुसार जोनल डवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत चूरु मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित किये गये कुल 09 संशोधनों में से क्रम संख्या 9 में मास्टर प्लान सड़क मार्गाधिकार को यथावत 200 फीट रखते हुए अन्य संशोधनों के क्रम में नगर परिषद चूरु के प्रस्ताव अनुसार चूरु मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त चूरु मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद चूरु के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चूरु।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
10. आयुक्त, नगर परिषद, चूरु।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय